

-: आदेश :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पत्र संख्या-1(11)62/एस-6/2021-22, दिनांक-सितम्बर, 2022 के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये परिणाम (जिसमें कुल 1699 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये) के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से कुल 1354 (1320 महिला एवं 34 पुरुष) एवं पुनः पत्र संख्या-998/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक 30.09.2022 द्वारा 180 महिला तथा 12 पुरुष अभ्यर्थियों पुनः पत्र संख्या-17/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22 टी0सी0-11 दिनांक-17.4.2023 द्वारा 119 महिला एवं 03 पुरुष अभ्यर्थियों के औपबन्धन समाप्त कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी उक्त के क्रम में महानिदेशालय द्वारा विभिन्न तिथियों में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पत्र संख्या-165/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22-11 दिनांक-31.07.2023 द्वारा 04 अभ्यर्थियों के औपबन्धन समाप्त करते हुए संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1999 यथा संशोधित नियमावली 2016 के नियमों व प्राविधानों के क्रम में संलग्न सूची में क्रमांक-01 से 04 तक उल्लिखित अभ्यर्थियों की अस्थाई नियुक्ति उपचारिका के पद पर (समूह-"ख") वेतनमान रूपया-9300-34800/- ग्रेड वेतन रूपया-4600/- एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रूपया- 44900-142400 (लेबल-7) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सूची में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या-12 में अंकित चिकित्सालय/जनपद में की जाती है:-

1. उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व चार अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व पाँच अन्य बनाम उ0प्र राज्य एवं अन्य एवं रिट याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य तथा नियुक्ति के संबंध में दायर अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
2. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने की दशा में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधिन अभ्यर्थी ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं है, तो नियुक्त अभ्यर्थी की नियमानुसार सेवायें समाप्त की जा सकती है।
3. यह नियुक्ति संबंधित अधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक अभिलेखों एवं तकनीकी अंक तालिकाओं, प्रमाण पत्रों, आरक्षित श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र आदि के उचित माध्यमों से सत्यापित कराये जाने की शर्त के साथ की जाती है, कि यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा सत्यापन कराने पर आरक्षण का दावा असत्य पाया जाता है तो ऐसी दशा में बिना किसी पूर्व नोटिस के नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. यह संवर्ग प्रदेश स्तरीय संवर्ग है अतः जनहित में प्रदेश के किसी भी जनपद/चिकित्सालय में शासकीय हित में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. संबंधित अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय समय पर निर्गत शासनदेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी नियमानुसार देय होंगे।
7. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. यह नियुक्ति राज्य कर्मचारियों से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के यथासमय नियमों/उपबन्धों के अधीन की जाती है।
9. संबंधित अभ्यर्थी अपना कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैनाती स्थान के जनपद के कालम-12 में अंकित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ अधीक्षिका) के सम्मुख

उपस्थित हों। यदि अभ्यर्थी आदेश जारी होने की तिथि के एक माह के अन्दर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगी और उसका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

10. संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा यथा स्थिति योगदान कराते समय रूपयें 100/- के स्टैम्प पेपर पर संबंधित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनसे संबंधित कोई वाद चयन के संबंध में लम्बित नहीं है।

11. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ उनकी स्व प्रमाणित दो प्रतियाँ नियुक्ति के स्थान पर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी, जो मूल प्रतियाँ अभ्यर्थी को सत्यापन के उपरान्त वापस कर दी जायें:-

(क) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक स्वास्थ्यता के संबंध में प्रदत्त प्रमाण पत्र।

(ख) हाई स्कूल व इण्टर मीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र।

(ग) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

(घ) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नर्सिंग तथा मिडवाइफरी में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

(ङ) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सरकारी सेवा में हो और उनके निजी जीवन में पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हो, से चरित्र का प्रमाण पत्र।

(च) संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अभियोजन लम्बित/विचाराधीन होने या न होने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र।

(छ) ओथ आफ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।

(ज) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं प्रतिज्ञा का शपथ पत्र/प्रतिज्ञा।

(झ) चल व अचल सम्पत्ति के संबंध में घोषणा पत्र।

(ञ) विवाहित होने की दशा में एक से अधिक पति/पत्नी जीवित न होने का प्रमाण पत्र व विवाहित अभ्यर्थी निम्न प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे/करेंगी:-

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह श्री/कु0.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... व्यवसाय.....

(यदि व्यवसाय नौकरी में है तो सेवायोजन का नाम व पूर्ण पता/यदि नहीं तो पूर्ण विवरण तथा कार्यस्थल का पूर्ण पोस्टल पता(डाक पता) भी अंकित किया जाय) के साथ दिनांक को रीति रिवाज के साथ हुआ था और उक्त व्यक्ति के साथ विवाहोपरान्त मेरा नाम श्रीमती..... है।

मैं शपथ पूर्व यह घोषणा करती/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी के अतिरिक्त कोई अन्य जीवित पति/पत्नी नहीं है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता:-

(ट) हिन्दी व अंग्रेजी में नमूने के दो हस्ताक्षर

(ठ) मूल स्थाई निवास से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र


(ड) आरक्षित श्रेणी/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित से संबंधित प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य की महिला अभ्यर्थी को पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

(डा० दीपा त्यागी)
महानिदेशक

पत्र संख्या-19फ/टी0सी0/11/उप0/नियुक्ति/2022/3303-10 तददिनांक,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज
2. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-8
4. संबंधित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय उ0प्र0/मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त अभ्यर्थियों की स्व प्रमाणित अभिलेखों को उनके मूल अभिलेखों से स्वयं मिलान कर उन पर अंकन करे कि मूल प्रतियों से भी मिलान किया एवं सही पाया गया अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में विशेष पत्र वाहक द्वारा उपलब्ध करायें, संबंधित अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार कर, अभिलेखों का सत्यापन, सक्षम निर्गत अधिकारी से कराकर योगदान संबंधी कार्यवाही दो माह में पूर्ण कर अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आदेश का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से कराने के उपरान्त ही संबंधित कर्मी का वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व समस्त प्रमाण पत्रों की दो-दो प्रतियाँ कार्यभार ग्रहण करने के संबंध संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें। नियुक्ति पत्र विभागीय वेब साइट-<http://dgmhup.gov.in> से अपलोड कर तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, संबंधित जनपद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ साथ संबंधित जनपद के नियंत्रक अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


03/10/23
निदेशक(नर्सिंग)

लोक सेवा आयोग से वयनित 04 उपचारिका के तैनाती का विवरण

क्रमांक	वयन क्रमांक	रजि० नं०	सेल नं०	कार्मिक का नाम	पिता	जन्मतिथि	स्थायी पता	पत्र व्यवहार का पता	गृह जनपद	श्रेणी	तैनाती का स्थान
1	863	72000535132	15456	कु०अनीता	नागेश रिह	15/07/1994	गडेरी, परोणख, भैनपुरी उ०प्र०-205263	गडेरी, परोणख, भैनपुरी उ०प्र०-205263	भैनपुरी	ओ०बी० सी०	जिला महिला चिकित्सालय, आगरा
2	1477	72000568662	92477	गीता यादव	स्व० अरू यादव	9/7/1992	ए 568, आश्रय कालोनी एलिङको उद्यान 2, रायबरेली रोड, अम्बेडकरनगर यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उ०प्र०-228025	ए 568, आश्रय कालोनी एलिङको उद्यान 2, रायबरेली रोड, अम्बेडकरनगर यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उ०प्र०-228025	लखनऊ	ओ०बी० सी०	जिला महिला चिकित्सालय एम०सी०एच० विंग, रायबरेली
3	1533	72000934679	46315	कु०ममता	सरदा राम	20/10/1987	तेलिया कालान, देवरिया उ०प्र०-274604	राजडीह माधवपुर, देवरिया, उ०प्र०-274509	देवरिया	एस०सी०	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर
4	1535	72000556328	4439	वन्दा गौड़	बंगाली गौड़	15/08/1981	इब्राहीमपुर, पी० दोहरी घाड़ मऊ, उ०प्र०-275303	इब्राहीमपुर, पी० दोहरी घाड़ मऊ, उ०प्र०-275303	मऊ	एस०सी०	100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय, अतरीलिया, आजमगढ़ ।

